फर्द अहकाम

मुरलीधर बनाम धीला

[न्]यायालय ACEM (FT) शाहपुरा

[सं]ख्या 258/16 दावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15/3/17	वकील वादी उप. । साक्ष्यवादी मे शपथपत्र पेश करने हेतु वकील वादी अवसर चाहते हैं। पत्रावली वास्ते पेशी दिनांक 22/3/17 को पेश हो। [सहायक कले]क्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	
22/3/17	वकील वादी उप. । साक्ष्यवादी मे शपथपत्र पेश करने हेतु वकील वादी अवसर चाहते हैं। पत्रावली वास्ते पेशी दिनांक 13-5-17 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	
13/4/17	वकील उभयपक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा। P.O. साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली वास्ते [illegible] को पत्रावली दिनांक 3-5-17 को पेश हो।	
3/5/17	वकील उभयपक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ द्वारा [illegible] रखा। P.O. साहब अनुपस्थित हैं। पत्रावली [illegible] दिनांक 29-6-17 को पेश हो।	
29/6/17	आज यह पत्रावली शरिस्ता लोक अदालत में पेश होकर राजीनामा से पेश हुई, वकील वादी वादीगण उप. । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अनुसार प्रकरण राजीनामा से निस्तारित है। अतः लोक अदालत की भावना से दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। फैसला अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा (जयपुर)
(राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट)

कैम्प स्थान – नयाबास दिनांक – 29.06.2017

पीठासीन अधिकारी–श्री रवि विजय (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं0–258/2016

उनवानी मुकदमा

1. मुरलीधर जाट पुत्र स्व. श्री सेडू जाति जाट निवासी नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

– वादी

बनाम

1. घीसा पुत्र स्व. देवा
2. भूरा
3. रामेश्वर
4. बंशी
(2–4) पुत्रान स्व. जीवण
5. गोपी
6. बोदी देवी
7. प्रभू देवी
8. आंची देवी
(5–8) पुत्रिया स्व. जीवण

समस्त जातियान जाट निवासीयान नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज.

9. राजस्थान सरकार – भू–धारक – जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
10. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर

– प्रतिवादीगण

11. जगदीश पुत्र स्व. सेडू
12. कमली
13. कजोडी
14. धोली
15. बिदामी
(12–15) पुत्रियां स्व. सेडू समस्त जातियान जाट निवासीयान नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज.काश्त.अधि. 1955

निर्णय दिनांक – 29.06.2017

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प नयाबास मे पेश हुई प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण संक्षप में इस प्रकार है – ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा के खाता संख्या 46 में दर्ज खसरा नम्बर 74/0.37, 78/0.18 कुन किता 2 रकबा 0.55 हैक भूमि जो कि साबिक खसरा नम्बर 36 व 40 से बने है। आराजी खसरा नम्बर 36 व 40 जो पूर्व में ग्राम आमलोदा में था नया राजस्व नयाबास बनने पर यह साबिक खसरा नम्बर 36 व 40 जिसके हाल नं. 74 व 78 बने है। प्रतिवादीगणो के पूर्वजो के नाम दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 74 व 78 जो कि साबिक नम्बर 36 व 40 से बने है पहले वादी के दादा देवला पिता मन्ना के नाम सहखातेदारी में दर्ज थी। वादी/प्रतिवादी तथा तरतीबी प्रतिवादीगण जो कि

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

एक ही परिवाद खानदान के व्यक्ति होने से तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी व तरतीबी प्रतिवादी का भी 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगणो के नाम उक्त आराजी सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जबकि वादी के 1/3 हिस्सा हिन्दु अविभक्त परिवार के सदस्य होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया। प्रतिवादीगणो द्वारा उक्त दुरूस्ती को सही करने हेतु मना करने पर यह दावा पेश किया गया।जो दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगणो के द्वारा बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया गया कि साबिक खसरा नम्बर 36 व 40 वादी के दादा देवला वल्द मन्ना के नाम खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2005 लगा0 2027 में दर्ज है। वादी के दादा देवला उर्फ देवाराम पि0 मना के 3 पुत्र कमशः घीसा, जीवण, सेडू जायन्दा पुत्र थे जिसके संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा भी कुर्सीनामा पेश किया गया है। जिसमें भी देवला के तीन जायन्दा पुत्र होना साबित होता है। आराजी खसरा नम्बर 74 व 78 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसके 2 पुत्र घीसा व जीवण के नाम ही दर्ज हो गई जबकि उसके तीसरे पुत्र सेडू जो कि वादी के पिता है के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हो पाया। वाद पत्र में प्रतिवादीगणो द्वारा इस संबंध में कोई जवाब दावा या अन्य किसी तरह के साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये। जबकि वादी के पक्ष में स्वयं वादी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तथा साक्ष्य वादी प्रभूदयाल पुत्र बोदूराम जाट निवासी नयाबास मुरलीधर पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी नयाबास ने भी वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त करना व दुरूस्ती हेतु मना करना शपथ पत्र में पेश किया है। इस प्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं हिन्दु अविभक्त परिवार के सदस्य होने के कारण वादी व तरतीबी प्रतिवादी के 1/3 हिस्सा आता है।

अतः राजस्व लोक अदालत कैम्प नयाबास में लोक भावना को मध्यनजर रखते हुए दावा वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता है कि ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 74/0.37, 78/0.18 कुल किता 2 रकबा 0.55 हैक्0 में प्रतिवादीगणो के हिस्से को कम करते हुए वादी मुरलीधर, जगदीश पि0 सेडू, कमली, कजोडी, धोली, बिदामी पुत्रियां सेडू हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदानुसार दावा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प नयाबास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
... शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

स्थान – नयाबास **दिनांक – 29.06.2017**

ीन अधिकारी–श्री रवि विजय (आर.ए.एस)
व वाद सं0–258/2016

उनवानी मुकदमा

1. मुरलीधर जाट पुत्र स्व. श्री सेडू जाति जाट निवासी नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

– वादी

बनाम

1. घीसा पुत्र स्व. देवा
2. भूरा
3. रामेश्वर } पुत्रान स्व. जीवण
4. बंशी
5. गोपी
6. बोदी देवी
7. प्रभू देवी } पुत्रिया स्व. जीवण
8. आंची देवी

समस्त जातियान जाट निवासीयान नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज.

9. राजस्थान सरकार – भू-धारक – जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
10. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर

– प्रतिवादीगण

11. जगदीश पुत्र स्व. सेडू
12. कमली
13. कजोडी
14. धोली } पुत्रियां स्व. सेडू समस्त जातियान जाट निवासीयान नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
15. बिदामी

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत इश्तकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज.काश्त.अधि. 1955

निर्णय दिनांक – 29.06.2017

दावा वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता है कि ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 74/0.37, 78/0.18 कुल किता 2 रकबा 0.55 हैक्0 में प्रतिवादीगणो के हिस्से को कम करते हुए वादी मुरलीधर, जगदीश पि0 सेडू, कमली, कजोडी, धोली, बिदामी पुत्रियां सेडू हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रवि विजय)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/

Scanned with CamScanner